Q. न्याय से आप क्या समझते है? न्याय के विभिन्न प्रकारो की विवेचना करो।

Ans:- न्याय न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक चिन्तन का भी अनिवार्य अंग है। पूर्वी और पाश्चात्य दोनो ही राजनीतिक दर्शनो में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय विचारक मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज तथा सोमदेव आदि ने राज्य व्यवस्था में न्याय महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मनु लिखते है " जिस सभा में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उसके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते है।" इसी प्रकार कौटिल्य न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण बताते है। उनके विचार में जो राज्य प्रजा को न्याय प्रदान नही कर सकता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा ~~करके~~ करना तथा असमाजिक एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियो को दण्डित करना है। न्याय के सन्दर्भ में भारतीय चिन्तको की विशेषता यह रही है कि उन्होने प्राचीन युग में ही न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिमी राजनीतिक चिन्तक आधुनिक युग मे अपना रहे है। जैसे मनु ने प्राचीन युग में ही विवादो की दो श्रेणियाँ बतला दी थी जिन्हे आज दिवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार कौटिल्य दो प्रकार के न्यायालयो की चर्चा करते है- धर्मस्थीय तथा कण्टक-शोधन, जिन्हे वर्तमान युग के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय के समान कहा जा सकता है।

पाश्चात्य चिन्तन में

न्याय का अध्ययन प्लेटो के विचारो से शुरु किया जाता है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'The Republic' का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति और उसके निवास की खोज करना ही है। रिपब्लिक में न्याय सम्बन्धी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि इसका उपशीर्षक उन्होने 'न्याय से सम्बन्धित' concerning justice रखा है।

प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नही बल्कि नैतिक अर्थ में किया है। प्लेटो के अनुसार "न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है। ~~न्याय~~ प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप है - 1. व्यक्ति में न्याय 2. समाज मे न्याय। प्लेटो की यह धारणा थी कि मानवीय आत्मा मे तीन तत्वो की प्रधानता होती है - विवेक, साहस और तृष्णा या क्षुधा।

Scanned with CamScanner

इसी के अनुरूप वे राज्य में भी तीन वर्गों के प्रतिनिधित्व की बताते हैं— 1. शासक वर्ग 2. सैनिक वर्ग 3. और उत्पादक वर्ग। प्लेटो के अनुसार समाज और राज्य की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निश्चित किये जाते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोष पूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। बार्कर के अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धान्त में "न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिकों में स्वधर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है।

प्लेटो की तरह अरस्तु भी न्याय को राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन अरस्तु न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। उन्होंने न्याय के दो प्रकार बताएँ हैं। 1. वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय (Distributive justice) 2. सुधारक न्याय (Corrective or Rectificationary justice). वितरणात्मक न्याय का सिद्धान्त यह है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उसके द्वारा की गई राज्य की सेवा के अनुसार हो। दूसरे सुधारक न्याय का तात्पर्य यह है कि एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ सम्बन्ध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाय।

आगस्टाईन न्याय को ईश्वरीय राज्य का प्रमुख तत्व मानते हैं तथा उनके अनुसार— "जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुण्ड मात्र कहे जा सकते हैं।" आगस्टीन के अनुसार "न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है।" न्याय का आशय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है।

थॉमस एक्वीनास कानून और न्याय को परस्पर सम्बन्धित मानते हैं। उनका कहना है कि न्याय "प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है।" लेकिन इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए एक्वीनास बताते हैं कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है।

इस प्रकार न्याय एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिन्तन के प्रारंभ से विचार किया जाता रहा है। इतिहास में अनेक प्रकार

Scanned with CamScanner

से न्याय की व्याख्या होती रही है। कभी इसे 'जैसी करनी वैसी भरनी' का पर्याय माना जाता रहा तो कभी इसे ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म ~~का फल~~ के कार्यों का फल। आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। अर्थात स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करता है पर उसका आचरण न्यायपूर्ण तभी समझा जा सकता है जब उसका आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर ले जानेवाला हो।

Scanned with CamScanner